बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार,पटना।

सं.संख्या–टी–3/योजना–23/2015– 1623 /पटना, दिनांक– 14.07.2017

प्रेषक,

पंकज कुमार पाल,भा0प्र0से0
विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषयः– राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भारत सरकार द्वारा संचालित सभी केन्द्र प्रायोजित स्कीम हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 1054.00 लाख (दस करोड चौवन लाख) राज्यांश एवं रू0 1546.00 लाख (पंद्रह करोड़ छियालिस लाख) मात्र केन्द्रांश के रूप में उपबंधित राशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत बिहार राज्य के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/कार्यालयों में भारत सरकार द्वारा संचालित है। इस स्कीम अन्तर्गत 08 औ0 प्र0 संस्थानों का उन्नयन , वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों में कौशल विकास (एल0 डब्ल0 ई0) के तहत संचालित छः औ0 प्र0 संस्थानों यथा औ0 प्र0 संस्थान औरंगाबाद, जमूई, रोहतास, अरबल, गया, जहानाबाद है तथा दो–दो कौशल विकास केन्द्र की स्थापना किया जाना है। इस हेतु भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि तथा समानुपातिक राज्यांश की राशि उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्यांश रू0 1054.00 लाख एवं केन्द्रांश रू0 1546.00 लाख कुल रू0 2600.00 लाख मात्र उपबंधित है। इस योजनान्तर्गत राशि का व्यय केन्द्रांश एवं राज्यांश भारत सरकार के दिशा–निर्देश के आलोक में राज्यांश रू0 1054.00 लाख एवं केन्द्रांश रू0 1546.00 लाख कुल रू0 2600.00 लाख के व्यय की स्वीकृति दी जाती है। इस राशि का आवंटन निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार पटना द्वारा आवश्यकतानुसार किया जाएगा।

2–स्वीकृत राशि का व्यय––

राज्यांश–मुख्य शीर्ष 2230–श्रम तथा रोजगार उप मुख्य शीर्ष–03–प्रशिक्षण, लघु शीर्ष–003 शिल्पकारों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण उप शीर्ष 0333 कौशल विकास मिशन, माँग संख्या–26 विपत्र कोड–26–2230030030333उपबंधित राशि रू0 –1054.00 लाख (दस करोड चौवन लाख)।

केन्द्रांश– मुख्य शीर्ष 2230–श्रम तथा रोजगार उप मुख्य शीर्ष–03–प्रशिक्षण, लघु शीर्ष–003 शिल्पकारों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण उप शीर्ष 0233 कौशल विकास मिशन, माँग संख्या–26 विपत्र कोड– 26–2230030030233 उपबंधित राशि रू0 1546.00 लाख (पंद्रह करोड़ छियालिस लाख) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3–इस स्कीम हेतु उद्व्यय एवं बजट उपबंध वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपलब्ध है।

4–इस स्कीम के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे तथा मुख्यालय (प्रशिक्षण पक्ष) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

5–इस राशि का निकासी वित्त विभाग के संकल्प संख्या–2561 दिनांक–17–4–98 के अनुरूप की जाएगी।

6–प्रस्ताव में विभागीय मंत्री की संचिका संख्या–टी–3/योजना–23/2015 के पृष्ठ– 12/टि0 पर स्वीकृति प्राप्त

7–प्रस्ताव में प्रधान सचिव की संचिका संख्या–टी–3/योजना–23/2015 के पृष्ठ– 12 /टि0 पर स्वीकृति प्राप्त है।

8–प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–टी–3/योजना–23/2015 के पृष्ठ–12/टि0 पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(पंकज कुमार पाल)
विशेष सचिव
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–टी3/योजना–23/2015– 1623 /पटना,दिनांक– 14.07.17

प्रतिलिपिः–योजना एवं विकास विभाग (दो प्रति में)/वित्त विभाग (दो प्रति में)/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग/योजना एवं बजट शाखा, श्रम संसाधन विभाग/ बजट/ योजना/मासिक व्यय निदेशालय/सी0 ओ0 ई0 / एल0 डबलु0 ई0 शाखा निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–टी3/योजना–23/2015– 1623 /पटना,दिनांक– 14.07.17 13/7

प्रतिलिपिः–निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–टी3/योजना–23/2015– 1623 /पटना,दिनांक– 14.07.17 13/7

प्रतिलिपिः–आई0 टी0/मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
13/7